राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की बेंच द्वारा बाल अधिकारों के उल्लंघन से संबंधित शिकायतों का निवारण

NCPCR

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग सरकार की वैधानिक निकाय है । आयोग का गठन बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 के अंतर्गत मार्च 2007 में गई है । आयोग का मुख्य उद्देश्य सभी बच्चों को बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 एवं संविधान में निहित तथा अन्य अधिनियमों के तहत बालकों को प्रदत्त अधिकार प्राप्त करने हेतु उन्हे सक्षम बनाना हैं । किसी भी प्रकार के बाल अधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ आपकी शिकायतें हैं तो आयोग की बेंच के समक्ष दिनांक 30 अगस्त 2019 को कोई भी व्यक्ति जैसे बच्चे, माता - पिता, अभिभावक, कार्यवाहक या कोई अन्य व्यक्ति शिकायत दर्ज करावें ।

बेंच सुनवाई तिथि

दिनांक : 30 अगस्त 2019

पंजीयन : प्रातः 9.00 बजे से

-: स्थानः-

कलेक्ट्रेट सभा कक्ष, कोरबा

बेंच सुनवाई समय : प्रातः 10.00 बजे से

-: समस्याएं जिनके लिए शिकायत दर्ज की जा सकती है :-

- इलेक्ट्रानिक / सामाजिक / प्रिंट मिडिया में बाल अधिकारों का उल्लंघन ।
- स्कूलों / पड़ोसियों द्वारा बच्चों का शोषण एवं स्कूलों में बुनियादी ढॉचों की कमी ।
- बच्चों के प्रतियोगिता परीक्षा शुल्क संबंधी शिकायत ।
- स्कूलों में बच्चों के साथ शारीरिक शोषण अथवा प्रताड़ना की शिकायत ।
- बच्चों को स्कूलों में प्रवेश नहीं देना ।
- विकलांगता संबंधी शिकायत ।
- भेद भाव पूर्ण व्यवहार करना ।
- यौन शोषण से पीड़ित बच्चों को मुआवजा दिलाना ।
- चिकित्सा संबंधी लापरवाही ।
- बालकों से विश्वासघात ।
- बालकों के मामलों में निष्क्रियता ।
- बच्चों के रोग संबंधी उपचार में चिकित्सा, लापरवाही ।
- मध्यान्ह भोजन ना मिलना ।
- मादक द्रव्यों को सेवन एवं नशा मुक्ति ।
- पुर्नवास संबंधी शिकायत एवं निराकरण ।
- किसी व्यक्ति अथवा संस्था की लापरवाही के कारण हुई बच्चों मृत्यु ।
- बच्चों का उपहरण ।
- बाल श्रमिक के रुप में खतरनाक स्थान पर बच्चों का उपयोग ।
- किसी भी प्रकार के परिश्रम या क्षतिपूर्ति की राशि प्राप्त ना होना ।
- बच्चों द्वारा सड़क पर सामान विक्रय करना ।
- एसिड अटैक संबंधी मामले ।
- माता-पिता / अभिभावक / किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बच्चों का भिक्षावृत्ति हेतु उपयोग करना ।
- बच्चों को भिक्षावृत्ति करने हेतु मजबूर करना ।
- बच्चों को शारीरिक शोषण / लैंगिंक हमला / परित्यक्त अथ्वा उपेक्षित किया जाता है ।
- घरेलू हिंसा से पीड़ित बच्चे ।
- एच.आई.वी. से ग्रषित बच्चों का भेदभाव करना ।
- पुलिस द्वारा शोषित / प्रताड़ित बच्चे ।
- बाल देखरेख संस्थाओं में प्रताड़ित शोषित बच्चे
- बच्चों का अवैध रुप से गोद लेना ।
- बाल देखरेख संस्थाओं में रहने वाले बच्चों का मानव तस्करी ।
- बच्चों के खिलाफ हिंसा करना ।
- बच्चों का मानव तस्करी करना ।

➢ उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग नई दिल्ली के बेंच के समक्ष दिनांक 30 अगस्त 2019 को कलेक्ट्रेट सभा कक्षा कोरबा में शिकायत दर्ज करावें ।

➢ अधिक जानकारी के लिए कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला बाल विकास विभाग, कार्यालय जिला बाल संरक्षण इकाई, कार्यालय एकिकृत बाल विकास परियोजना - समस्त में सम्पर्क किया जा सकता है ।

Scanned by CamScanner